पुनरीक्षण - रामप्यारी देवी अपील सं. 46/21

क्र	आज्ञा पत्र	
3.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.7.25 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। बाद आदेश दिनांक 10.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
10.7.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 40 / 2021

1 चुन्नीलाल पुत्र स्व. श्री रामूराम जाति जाट आयु 53 साल निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री रामूराम पत्नी ईश्वरसिंह जाति जाट हाल निवासी ग्राम दुजोद तहसील धोद जिला सीकर राज.।
2 भागोती देवी पुत्री स्व. श्री रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर राज.।
3 सहायक अभियन्ता ओएण्डएम अ.वि.वि.नि.लि. पिपराली मु. सीकर।
4 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
5 भूमिधारक राज. राज्य सरकार तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर नम्बर 124 / 2019
बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि दिनांकित
12.03.2021 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सतपाल खींचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रजनीश खींचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एव सीकर

–निर्णय–

दिनांक:– 10/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 33, 35, 43, 109, 110 जिनके नये खसरा नम्बर 5588/110, 5589/110, 5590/109, 5591/109 वाके ग्राम पिपराली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 5588/110, 5589/110, 5590/109, 5591/109 कुल किता 4.54 हैक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है क्योंकि स्थगन आदेश जारी होने से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपनी भूमियों को रहन रखने अथवा अन्य लाभ प्राप्त करन से वंचित हो जाता है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त भूमियों को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने ससुराल ग्राम दूजोद में आवास निवास कर रही है। जिसका वादग्रस्त भूमियों से कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी लायक विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। स्व. रामूराम की विरासत का नामान्तकरण दिनांक 07.12.2006 को भरा गया था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 संतोष देवी को शुरू से ही जानकारी थी जिसके विरूद्ध निर्धारित अवधि में कोई भी अपील अथवा वाद प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत वाद अवधि वर्जित होने से आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से लायक विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। जिसे किसी भी रूप में पाबन्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थी अपीलान्ट के पास उसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

हक अधिकार की भूमि ही है जिसे उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज कर प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट को क्यों प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि प्रार्थी अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और खातेदारी भी पूर्णतया सही रूप से अंकित है। जिसका उपयोग उपभोग करने के लिये सक्षम व साधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु कतई गलत रूप से निस्तारित किये है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपीलान्ट का है और स्थगन आदेश जारी करने से प्रार्थी अपीलान्ट को भयंकर असीम क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी अपील के विरूद्ध निर्णित कर भारी भूल की है। स्व. रामूराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1780 दिनांक 07.12.2006 को निर्धारित अवधि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कही भी कोई चुनौती नहीं दी है। इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद अवधि वर्जित है जो चलने योग्य नहीं है। इसलिये आदेश जैर अपील गलत रूप से जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिनकु देवी ने अपने जीवनकाल में ही अपने हक हिस्से की भूमि का उपहार प्रलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में करवा दिया था जो पूर्णतया अवैध है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट ने विरासत के आधार पर दावा व धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर पुराने 33, 35, 43, 109, 110 जिनके नये खसरा नम्बर 5588/110, 5589/110, 5590/109, 5591/109 वाके ग्राम पिपराली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय ने धारा 212 के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विस्तृत विवेचन कर विवादित भूमि को पैतृक होना मानते हुए प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया हिस्सा मानकर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट ने विरासत के आधार पर दावा व धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर पुराने 33, 35, 43, 109, 110 जिनके नये खसरा नम्बर 5588 / 110, 5589 / 110, 5590 / 109, 5591 / 109 वाके ग्राम पिपराली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि में अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया के हितों का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विस्तृत विवेचन किए बिना अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों का सरसरी तौर पर निस्तारण कर विचाराधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधिक प्रक्रिया अनुसार तीनों घटकों का निस्तारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर